न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाड़ी (खैरथल–तिजारा)

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुमित्रा मिश्र आर.ए.एस. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भिवाड़ी)

अपील संख्या	किस्म मुकदमा	प्रवेश दिनांक	निर्णय दिनांक
12/14/2024	अपील इंतकाल	01.11.2024	12.11.2025

उनवान प्रकरण :–

1. मलकीत सिंह पुत्र स्व० श्री शेरसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम सारेखुद तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा

:– अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार, तहसील टपूकडा जिला खैरथल – तिजारा (राज०)

:– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.टी. एक्ट के तहत विरूद्व आज्ञा तहसीलदार टपूकडा के द्वारा इन्तकाल सं. 1070 दर्ज दिनांक 09-02-2024 व अस्वीकार दिनांक 20-03-2024 कर आदेश पारित किया, बमुराद मन्सूख किये जाने उक्त आदेश व स्वीकार किये जाने अपील अपीलान्ट ।

उपस्थित :

1. **श्री हितेश कुमार एडवोकेट** :– वकील अपीलान्ट

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गयां। पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट मलकीत सिंह पुत्र स्व0 श्री शेरसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम सारेखुर्द तहसील टपूकडा द्वारा एक अपील प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.टी. एक्ट पेश कर निवेदन किया कि इन्तकाल सं. 1070 में दर्ज आराजी वाके ग्राम सारेखुर्द बाबत तहसीलदार टपूकडा के द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व पेश की जा रही है। जिसका अदालत श्रीमान को क्षेत्राधिकार निहित है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि "हाल आराजी खसरा नं. 220 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, 831/257 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, 536 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, 776/202 रकबा 0.1200 हेक्टेयर, 60/758 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, 269 रकबा 0.1300 हैक्टेयर वाके ग्राम सारेखुर्द तहसील टपूकडा जो कि मिन अपीलान्ट के पिता शेरसिंह पुत्र श्री कालासिंह की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी। जिस पर मिन अपीलान्ट का पिता अपने जीवनकाल में काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करता रहा है तथा उनके नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी का अमल दरामद है। मिन अपीलान्ट के पिता शेरसिंह के मरने के बाद उक्त वर्णित आराजी मिन अपीलान्ट व मिन अपीलान्ट के परिवार वालों को मृतक शेरसिंह से विरासत से प्राप्त हुई है। मृतक शेरसिंह का विरासत इन्तकाल सं. 1070 जो कि मिन अपीलान्ट व मिन अपीलान्ट के परिवारजन के नाम दिनांक 09-02-2024 को हल्का पटवारी द्वारा दर्ज कर दिया व इन्तकाल सं. 1070 को रेस्पोडेन्ट तहसीलदार के समक्ष पेश किया लेकिन रेस्पोडेन्ट तहसीलदार ने बिना जाँच पडताल किया व बिना नोटिस जारी किये व बिना मिन अपीलान्ट व परिवारजन को बुलाये व ना ही कोई नोटिस चौपाल पर चस्पा किये इन्तकाल सं. 1070 दिनांक 20-03-2024 को पटवारी रिपोर्ट नहीं होने

का हवाला देकर गलत तौर अस्वीकार कर दिया। जो इन्तकाल सं. 1070 हरसूरत में अपास्त किये जाने योग्य है। इन्तकाल सं. 1070 में वर्णित आराजी जो कि मिन अपीलान्ट व परिवार वालों को मृतक पिता शेरसिंह से विरासत से मिली है और उनके मरने के बाद काबिज व दाखिल है परन्तु इन तथ्यो का रेस्पोडेन्ट तहसीलदार को पूरा पूरा ज्ञान था लेकिन विधि विरूद्ध तरीके से पटवारी रिपोर्ट नहीं होने का हवाला देकर इन्तकाल सं. 1070 गलत तौर पर अस्वीकार किया है। रेस्पोडेन्ट तहसीलदार जो कि हल्का पटवारी का अधिकारी है व हल्का पटवारी अधिनस्थ कर्मचारी है। रेस्पोडेन्ट को अपने पदीय हैसियत के अनुसार अपने अधिनस्थ कर्मचारी से जॉच रिपोर्ट तलब करनी चाहिये थी लेकिन रेस्पोडेन्ट तहसीलदार ने गलत तौर पर इन्तकाल को अस्वीकार किया है। रेस्पोडेन्ट तहसीलदार का उक्त आदेश हरसूरत में अपास्त किये जाने योग्य है। यह है कि मिन अपीलान्ट को कानून कायदे की कतई जानकारी नहीं है और ना ही मिन अपीलान्ट को उक्त इन्तकाल के अस्वीकार होने की पूर्व में कोई जानकारी रहीं है। मिन अपीलान्ट दिनांक 23-10-2024 को हल्का पटवारी के पास आकर उक्त आराजी की जमाबन्दी का अवलोकन किया तो इन्तकाल अस्वीकार होने की जानकारी मिली। जिस पर मिन अपीलान्ट ने कानूनी राय लेकर सभी दस्तावेजात की नकुलात लेकर अपील हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है। इसलिए मिन अपीलान्ट को हकूको की रक्षार्थ यह अपील हाजा न्यायालय श्रीमान के समक्ष साधारणतया अन्दर अवधि पेश की जा रही है। प्रार्थना पत्र दफा--5 मियाद अधिनियम का अलग से पेश किया जा रहा है। इन्तकाल सं. 1070 में दर्ज आराजी मिन अपीलान्ट को अपने मृतक पिता शेरसिंह से विरासत से प्राप्त हुई है। जिस पर बदस्तूर काबिज व दाखिल चला आ रहा है। मिन अपीलान्ट के इन्तकाल सं. 1070 में दर्ज आराजी में कानूनन हक व अधिकार निहित है। रेस्पोडेन्ट तहसीलदार के द्वारा गलत तौर पर इन्तकाल अस्वीकार किया है, के विरूद्ध मिन अपीलान्ट को यह अपील हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है। अपील पर नियमानुमान कोर्ट फीस व तलवाना शुल्क अलग से चस्पा कर पेश हैं। अन्य वजुआत कानूनी एवं तथ्यात्मक वक्त बहस अर्ज किये जाने हेतू निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस के रेस्पोडेन्ट उपस्थित नही हुए। तहत न्यायालय द्वारा नामान्तकरण इन्तकाल सं. 1070 वाके ग्राम सारेखुर्द की प्रमाणित प्रति प्रेषित की गई जो संलग्न पत्रावली कि गई।

अपीलान्ट द्वारा साक्ष्य दस्तावेजी में नियम 33 के तहत प्रमाणित प्रति नामान्तकरण संख्या 1070 दिनांक 20.03.2024 प्रदर्ष–1, नकल जमाबंदी सम्वत 2074–2077 संलग्न किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा बहस में अपील मीमो को दोहराते हुए निवेदन किया की यह अपीलान्ट के पिता शेरसिंह पुत्र श्री कालासिंह की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी जिनकी मृत्यु के बाद मिन अपीलान्ट व उनके परिवार वालो को विरासत से प्राप्त हुई है। हल्का पटवारी द्वारा मिन अपीलान्ट व परिजन के नाम दिनांक 09.02.2024 को हल्का पटवारी द्वारा दर्ज कर दिया व इंतकाल संख्या 1070 को रेस्पोन्डेन्ट तहसीलदार को भेज दिया गया। तहसीलदार टपूकडा द्वारा 20.03.2025 को पटवारी की रिपोर्ट नही होने का हवाला देकर खारिज कर दिया गया। जबकि तहसीलदार अपने अधीनस्थ पटवारी को आदेशित कर जांच रिपोर्ट तलब कर सकता था। लेकिन रेस्पोडेन्ट तहसीलदार ने ऐसा नही कर गलत तौर पर इन्तकाल को अस्वीकार किया है। अतः उपरोक्त आदेश निरस्त किया जाकर मिन अपीलान्ट व मिन अपीलान्ट के परिजन के नाम नामान्तकरण दर्ज व स्वीकृत किया जावें तथा मियाद

अधिनियम दफा 5 पर उन्होने आदेश दिनांक से अपील दायर दिनांक तक की अवधी का कारण स्पष्ट किया तथा मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक से अपील दिनांक तक की अवधी को कन्डोन किया जाकर अपील मियाद शुमार किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम मियाद अधिनियम दफा 5 पर विवेचन करना उचित समझते है। मियाद के बिन्दु पर अपीलान्ट द्वारा आदेश दिनांक से अपील दायर करने तक विलम्ब का कारण दर्शित किया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नर्मी का रूख अपनाते हुए आदेश दिनांक से अपील दिनांक तक की अवधी को कन्डोन किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहा तक प्रश्न अपील के गुणावगुण का है चूंकि आराजी खसरा नं. 220 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, 831/257 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, 536 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, 776/202 रकबा 0.1200 हेक्टेयर, 60/758 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, 269 रकबा 0.1300 हैक्टेयर वाके ग्राम सारेखुर्द तहसील टपूकडा अपीलान्ट के शेरसिंह पुत्र श्री कालासिंह की कब्जा काश्त खातेदारी है उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान के नाम नामान्तकरण की कार्यवाही कि जाने चाहिए थी। तहसीलदार टपूकडा के द्वारा इनके वारिसान की जांच कराकर नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अतः नामान्तकरण खारिज करने में तहसीलदार टपूकडा द्वारा कानूनी भूल की है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार टपूकडा का नामान्तकरण संख्या 1070 पर पारित आदेश दिनांक 20-03-2024 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार टपूकडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि मृतक शेरसिंह पुत्र श्री कालासिंह के वारिसान के नाम विधि सम्मत नामान्तकरण दर्ज एवं स्वीकृत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। निणर्य प्रति तहसीलदार टपूकडा को प्रेषित की जावें। प्रकरण फैसल सुमार होकर बाद तकमील व तरतीब दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 12/11/2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमित्रा मिश्र आर.ए.एस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भिवाडी,खैरथल–तिजारा।